राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2674 / 2003

श्रीमती गोमती देवी –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.12..2003
आदेश की दिनांक : 12.01.2023
<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र वैश्य, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 29.03.1988 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अध्यापक तृतीय श्रेणी (सामान्य) के पद पर राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम,1971 के नियम 20 के अधीन की गई थी। अपीलार्थी की व्यथा है कि उससे कनिष्ठ अध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.1988 को कार्यग्रहण किया था जबकि उससे कनिष्ठ श्रीमती कमला ओला एवं श्रीमती शबनम ने क्रमशः 07.12.1988 एवं 05.12.1988 को कार्यग्रहण किया था। अपीलार्थी का आक्षेप है कि प्रत्यर्थीगण ने कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.04.2001 (अनुलग्नक–5) की अनुपालना नहीं की और अस्थाई वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति आदेश दिनांक 21.08.2003 (अनुलग्नक–6 एवं 7) प्रसारित किया। नियमानुसार वरिष्ठता का निर्धारण नियमित नियुक्ति की तिथि से किया जाता है। अपीलार्थी का सेवाभिलेख संतोषप्रद रहा है किंतु फिर भी उसे पदोन्नति से वंचित रखा गया और उससे कनिष्ठ कार्मिकों को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दे दी गई। अतः अपीलार्थी को भी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर उसी तारीख से पदोन्नति प्रदान की जावे जिस तारीख से अनुलग्नक–6 द्वारा क्रमशः

श्रीमती शबनम एवं श्रीमती कमला ओला को पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी ने समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने का अनुरोध भी किया है।

2. प्रत्यर्थीगण की ओर से अपील का यह प्रतिवाद किया गया है कि अपीलार्थी ने जिन दो अध्यापकों क्रमशः श्रीमती शबनम एवं श्रीमती कमला ओला का उल्लेख अपील में किया है उन्हें आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया है। विभाग का कहना है कि उक्त दोनों अध्यापकों का अन्तर्लयन शिक्षा विभाग में हो गया था। शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का 1:1 के अनुपात में अन्तर्लयन कर वरिष्ठता निर्मित की गई थी जिसके अनुसार अपीलार्थी श्रीमती शबनम एवं श्रीमती कमला ओला से वरिष्ठ नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश दिनांक 29.03.1988 को निर्विवाद बताया है। विभाग का कहना है कि अपीलार्थी को पदोन्नति आदेश दिनांक 21.08.2003 और 18.08.2003 की विधिवत् जानकारी थी किन्तु उसने कभी भी उन्हें चुनौती नहीं दी। विभाग के द्वारा जारी पदोन्नति आदेश विधि सम्मत् हैं क्योंकि अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के पश्चात् ही सम्बन्धित कार्मिकों को विधि के अनुसार पदोन्नति दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने इस आशय की विज्ञप्ति समाचार पत्र में प्रकाशित की थी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन कि उसे वरिष्ठता सूची की सूचना नहीं दी गई अथवा वरिष्ठता के सम्बन्ध में उसे जानकारी नहीं थी मात्र कपोल कल्पित है। विभाग का कहना है कि उसने कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.04.2001 की विधिवत् पालना की है। आनुपातिक अन्तर्लयन के अनुसार श्रीमती शबनम का वरिष्ठता क्रमांक 116ए/88–90 एवं श्रीमती कमला ओला का वरिष्ठता क्रमांक 120बी/88–90 है जबकि अपीलार्थी गोमती देवी का वरिष्ठता क्रमांक 165/88–90 है। यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थीया श्रीमती गोमती देवी पदोन्नति प्राप्त अध्यापिका कमला ओला तथा श्रीमती शबनम से वरिष्ठ नहीं है। जारी आदेश विधि सम्मत है। इस प्रकार अपीलार्थी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः अपील सव्यय निरस्त की जाये।

3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के उत्तर का यह पुनरूत्तर दिया है कि प्रत्यर्थी विभाग ने उसकी संस्थाई नियुक्ति की दिनांक 29.03.1988 को स्वीकार कर लिया है और यह भी स्वीकार कर लिया है कि श्रीमती कमला ओला और श्रीमती शबनम ने दिसम्बर, 1988 में कार्यग्रहण किया था। इस प्रकार अपीलार्थी ने वर्ष 1987–88 में कार्यग्रहण किया था जबकि श्रीमती कमला

ओला और श्रीमती शबनम ने दिसम्बर 1988 में कार्यग्रहण किया था। अपीलार्थी ने वर्ष 1987—88 में कार्यग्रहण किया था जबकि श्रीमती कमला ओला एवं श्रीमती शबनम ने वर्ष 1988—89 में कार्यग्रहण किया था जिसके फलस्वरूप वे अपीलार्थी से कनिष्ठ थीं। वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है इसलिए अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के अनुसार आनुपातिक अन्तर्लयन का कोई प्रावधान सेवा नियमों में नहीं है। यदि प्रत्यर्थी विभाग ने आनुपातिक अन्तर्लयन के सिद्धांतों का अनुसरण किया है तो ऐसा कृत्य मनमाना, अवैध एवं अनुचित है। वरिष्ठता सूची का प्रकाशन उचित तरीके से नहीं किया गया था और न ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को उसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को उसी तारीख से समस्त पारिणामिक लाभ सहित वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे जिस तारीख से उससे कनिष्ठ श्रीमती शबनम और श्रीमती कमला को पदोन्नति दी गई थी।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी जिसमें उन्होंने अपने—अपने अभिवचनों की पुनरावृति की। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने Food Corporation of India Vs. S.N. Nagarkar 2002 I AD (S.C.) 529, Kuldip Chand Vs. Union of India And Others (1995) 5 SCC 680 and Mohd. Ahmed Vs. Nizam Sugar Factory and Others (2004) 11 SCC 210 को उद्धृत किया जिनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

5. अपील के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति उससे कनिष्ठ रही श्रीमती शबनम एवं श्रीमती कमला ओला से पहले की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने भी इस तथ्य को अपने जवाब में स्वीकार किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने ऐसे किसी विधिक प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसमें शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग में नियुक्त अध्यापक तृतीय श्रेणी के आनुपातिक अन्तर्लयन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हो। अपीलार्थी का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान राजस्थान शिक्षा अधिनियम, 1971 में विद्यमान नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Kuldip Chand Vs. Union of India And Others (1995) 5 SCC 680 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"5. When the aforesaid facts are taken into consideration, it would be obvious that the preparation of seniority list per se was illegal. Therefore, the mere fact that he did not challenge the seniority list, which was illegally prepared, till he was aggrieved for non-consideration of the claim to the post of accountant, his legitimate right to be considered cannot be denied."

6. उपर्युक्त विनिश्चय के क्रम में हमारा मत है कि यदि वरिष्ठता सूची विधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं तैयार की गई थी तो वह उचित नहीं थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Niranjan Prasad Sinha and Another Vs. Union of India and Others 2001 SCC (L&S) 877 में वरिष्ठता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"8. *It is sell settled that in the absence of any rule, seniority in particular grade to be determined on the basis of length of continuous service in that grade. The appellants were legally promoted Firemen Grade A whereas the promotees were promoted subsequently. It is an admitted position that the appellants were senior to the promotees in all the grades of posts of Fireman. No rules have been placed before us to show that persons promoted on the basis of written test would get seniority over the persons promoted under clause 5.1. We, therefore, hold that the impugned seniority list where the appellants were shown junior to the promotees is contrary to the legal position and accordingly it is quashed."*

7. उपर्युक्त विनिश्चय से यह प्रकट है कि वरिष्ठता का निर्धारण निरन्तर सेवा की लम्बाई के आधार पर किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी ने श्रीमती शबनम और श्रीमती कमला ओला से अधिक अवधि की निरन्तर सेवा की थी जिसका कोई खण्डन प्रत्यर्थी विभाग ने नहीं किया है। अतः हमारे मत में निरन्तर सेवा के आधार पर अपीलार्थी श्रीमती शबनम और श्रीमती कमला ओला से सदैव वरिष्ठ रही है।

8. अपीलार्थी का तर्क है कि उसको किसी दोष के बिना ही पदोन्नति से वंचित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Food Corporation of India Vs. S.N. Nagarkar 2002 I AD (S.C.) 529 (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अवधारित किया है कि :–

"19. Having regard to the facts and circumstances of the case, the Court was satisfied that the respondent was not only to be considered for promotion to the promotional posts, but was also entitled to arrears of pay and allowances since he had beende deprived of those benefits not on account of any fault of his but on account of the fault of the authorities concerned. It is well settled that in exercise of writ jurisdiction, the Court may mould the relief having regard to the facts of the case and interest of justice."

9. उपरोक्त विनिश्चय के प्रकाश में हमारा मत है कि प्रत्यर्थी विभाग यह साबित करने में असफल रहा है कि कनिष्ठ कर्मचारियों को अपीलार्थी के किसी दोष के कारण उसके पहले पदोन्नति दी गई थी। प्रत्येक राजकीय कर्मचारी का यह अधिकार है कि पदोन्नति के लिए उसकी अभ्यर्थिता पर उसकी वरिष्ठता क्रम के अनुसार विचार किया जाये। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी वरिष्ठता के अनुसार उसकी अभ्यर्थिता पर विचार किया जाये। हमारे मत में ऐसा किया जाना न्यायहित में होगा।

10. जहां तक इस बिन्दु का कि अपीलार्थी ने श्रीमती शबनम और श्रीमती कमला ओला को अपील में पक्षकार नहीं बनाया है, सम्बन्ध है, हमारा मत है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी ने किसी कर्मचारी विशेष के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। ऐसी दशा में अपीलार्थी के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह श्रीमती शबनम और श्रीमती कमला ओला को एक आवश्यक पक्षकार के रूप में अपनी अपील में संयोजित करती। अतः हम श्रीमती शबनम एवं श्रीमती कमला ओला को प्रत्यर्थी विभाग के आवश्यक पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी आक्षेप को अस्वीकार करते हैं।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है और यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी की अभ्यर्थिता पर उसके वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाये और ऐसे विचारण में उसे पदोन्नति के योग्य पाये जाने पर उसी तारीख से पदोन्नति प्रदान की जाये जिस तारीख से उससे कनिष्ठ रही श्रीमती शबनम एवं श्रीमती कमला ओला को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। आदेश की पालना तीन माह में की जाये।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)